वेतन को कार्य-निष्पादन के साथ जोड़ा जाना

1983. **श्री राम जेठमलानी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 अप्रैल, 1993 के "इकोनोमिक टाइम्स" में "पी०एस०यू० सैलरीज लिंक्ड टू परफार्मेन्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि सरकार ने अब कर्मकारों के वेतन और उनको मिलने वाले अन्य प्रोत्साहनों में भावी वृद्धि को संबंधित संगठन के लाभ-हानि से जोड़ दिया है;

(ग) यदि हां; तो इस संबंध में लिए गए निर्णय का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने प्रबंधकों के गलत निर्णयों के कारण संगठन को होने वाली हानि के दुष्परिणामों के विरुद्ध कर्मकारों के हितों की रक्षा के लिए कदम उठाए हैं; और

(ङ) यदि हां; तो सरकार ने इस संबंध में क्या उपाय किए हैं?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री और उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) नई मजूरी नीति के अंतर्गत प्रबन्धक अलग-अलग उद्यमों/एककों द्वारा संसाधन जुटाने लाभार्जन को ध्यान में रखते हुए और उनके अनुरूप मजूरी संरचना के लिये बातचीत करने के लिए स्वतंत्र हैं। सरकार मजूरी में हुई वृद्धि के लिये कोई बजटगत सहायता प्रदान नहीं करेगी तथा सम्बद्ध प्रबन्धकों द्वारा जुटाये गये अपने आंतरिक संसाधनों के भीतर अपेक्षित संसाधन ढूंढने होंगे। सरकारी क्षेत्र के कुछ उद्यम, जो एकाधिकारी हैं या लगभग एकाधिकारी हैं या उनमें कोई मूल्य नियंत्रण ढांचा है, उनके लिये यह अवश्य सुनिश्चित किया जाये कि बातचीत के बाद मजूरी में हुई वृद्धि के परिणामस्वरूप उनके सामान तथा सेवाओं के नियंत्रित मूल्य में स्वत: कोई वृद्धि न हो।

यह भी निर्णय किया गया है कि मजूरी समझौतों की अवधि 5 वर्ष की होगी और इनमें संशोधन इस शर्त पर होंगे कि उत्पादन की इकाई, श्रम लागत में कोई वृद्धि नहीं होगी।

(घ) और (ङ) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा हानि उठाने के सामान्य कारण हैं—अतिरिक्त जनशक्ति, पुरानी प्रौद्योगिकी, उचित कार्य-संस्कृति की कमी, निजी क्षेत्र से कड़ी प्रतिस्पर्धा आदि। कार्य-निष्पादन में सुधार करने के लिये किये कुछ उपाय हैं : आधुनिकीकरण तथा पुनर्स्थापन, वित्तीय, प्रबन्धकीय तथा संगठनात्मक पुनर्गठन, उत्पादमिश्र में परिवर्तन, प्रौद्योगिकी समुन्नयन आदि। उद्यमों के पुनर्गठन के कारण प्रभावित होने वाले कर्मचारियों के पुनर्प्रशिक्षण/पुनर्नियोजन के लिये एक राष्ट्रीय नवीकरण कोष का गठन किया गया है।

Items reserved for SSI

1984. SHRI PRAMOD MAHAJAN: Will the PRIME MINISTER be pleased to state which are the industries—big, medium and multinationals allowed to carry on Busineis Certificates in the items reserved for SSI?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPTT. OF SMALL SCALE INDUSTRIES AND AGRO AND RURAL INDUSTRIES) (SHRI M. ARUNACHALAM): From 1980 to March, 1993 Carry-on-Business (COB) licences have been issued to 2180 medium/large scale undertakings engaged in leather products, hosiery and garments, chemical and chemical producte, rubber